[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 58/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जुलाई, 2020

सा.का.नि...........(अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये 1 जुलाई 2020 से प्रवृत्त होंगें।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध -** इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 अंतर्गत के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो , इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई

ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो ।” ।

(फा. सं.सीबीईसी-20/06/08/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर , तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 403(अ), तारीख 24 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 24 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।